

Miscellaneous Case No – 10/2018

Dist. - Gaya

=====
Mining Officer, Gaya

Vs.

M/s-Mahadev Enclave Pvt. Ltd.
=====

आदेश

02.04.2018

C.W.J.C. No.-4557/2018 मे० महादेव इन्क्लेव प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.03.2018 को पारित आदेश द्वारा इस वाद पर इस आधार पर स्थगन (status quo) अधिरोपित किया गया है कि, खान आयुक्त द्वारा मूल प्राधिकार के किसी आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है, संदर्भित मामले में मूल प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए यह किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं है।

उल्लेखनीय है कि खनन पट्टा निलंबित/रद्द करने की खान आयुक्त की शक्ति, मूल क्षेत्राधिकार में बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 में प्रावधानित है। परन्तु इस नियमावली पर C.W.J.C. No.-15965/2017 पुष्पा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 27.11.2017 को स्थगन आदेश अधिरोपित है, जिससे बिहार लघु खनिज सम्नुदान नियमावली, 1972 पुनः प्रवृत्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी SLP(C) No. 33129/2017 में दिनांक 15.12.2017 को पारित आदेश द्वारा पूर्व वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को बरकरार रखा गया है। इस नियमावली में खान आयुक्त के मूल क्षेत्राधिकार में खनन पट्टा निलंबित अथवा समाप्त करने की शक्ति निहित नहीं है।

अतः संदर्भित न्यायादेश एवं प्रावधान के आलोक में इस वाद को समाप्त करते हुए, मामले को गुण-दोष पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निदेश समाहर्ता, गया को दिया जाता है। समाहर्ता, गया संबंधित बन्दोबस्तधारी को सुनकर 30 दिनों के अन्दर उचित निर्णय लेंगे।

ह०/—

(अतुल प्रसाद)

खान आयुक्त

बिहार, पटना

ज्ञापांक:—.....1704...../एम० पटना, दिनांक04.4.18.....

प्रतिलिपि:—समाहर्ता, गया/सहायक निदेशक, गया/मेसर्स महादेव इन्क्लेव प्रा० लि०, डायरेक्टर—मनोज कुमार पचसिया, बी०-37, अयोध्या मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर/श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, खान/आई०टी० मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✍

सरकार के अवर सचिव।